बिहार विधान सभा सचिवालय

अष्टादश बिहार विधान सभा के दौरान बिहार विधान सभा सोशल मीडिया के प्रबंधन आदि से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना

NIT NO-02/2026

अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र से 31 मार्च, 2028 तक सोशल मीडिया (फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब) हेतु कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक्स निर्माण, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट करना सहित समग्र सोशल मीडिया प्रबंधन एवं लघु फिल्म, एनिमेशन निर्माण, सदन की कार्यवाही एवं सदन के बाहर कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण, एवं अन्य अनुषांगी कार्यों को पूरा करने के लिए इच्छुक एवं प्रतिष्ठित संस्थानों/फर्मों/फिल्म निर्माताओं से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो एक अन्य सीलबंद लिफाफा में बंद हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से दिनांक–24.07.2026 को 03:00 बजे अप० तक यथानिर्धारित शर्तों एवं कार्यो, जिनका का विवरण बिहार विधान सभा के वेबसाईट www.vidhansabha.bihar.gov.in पर द्रष्टव्य है, के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक–29.07.2026 को 04:30 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अष्टादश बिहार विधान सभा के दौरान बिहार विधान सभा सोशल मीडिया के प्रबंधन आदि से संबंधित निविदा आमंत्रण

NIT No- 02/2026

अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र से 31 मार्च, 2028 तक सोशल मीडिया (फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि) हेतु कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक्स निर्माण, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट करना सहित समग्र सोशल मीडिया प्रबंधंन एवं लघु फिल्म, एनिमेशन निर्माण, सदन की कार्यवाही एवं अनुषांगी कार्यों को पूरा करने के लिए इच्छुक एवं प्रतिष्ठित संस्थानों / फर्मों / फिल्म निर्माताओं से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो एक अन्य सीलबंद लिफाफा में बंद हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से दिनांक-24.07.2026 को 03:00 बजे अप० तक यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं। निविदा तथा इसके लिए निर्धारित शर्तों एवं कार्य का विवरण बिहार विधान सभा के वेबसाइट www.vidhansabha.bihar.gov.in पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुरूप निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-29.07.2026 को 04:30 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

निर्धारित शर्तों एवं कार्य का विवरण:-

1. बिहार विधान सभा सोशल मीडिया हेतु कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक्स निर्माण, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट करना सहित समग्र सोशल मीडिया प्रबंधंन एवं लघु फिल्म, एनिमेशन निर्माण, सदन की कार्यवाही एवं सदन के बाहर कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण, एवं अन्य अनुषांगी कार्यों को योग्य सेवा प्रदाताओं को प्रस्ताव के द्वारा अनुबन्ध के लिए आमंत्रित करती है।
2. बिहार विधान सभा एक ऐसे सेवा प्रदाता का चयन करना चाहती है जो आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था के साथ वेबीनार, वेब सम्मेलन आदि के लाईव प्रसारण, प्रासंगिक विषय का स्पष्ट प्रकाशन तथा अन्य सहायक सेवाएँ प्रदान कर सके। अगर ये सेवाएं विधान सभा परिसर से बाहर आयोजित किए जाएंगे अथवा अपेक्षित होंगे उस परिस्थिति में इनका अलग से भुगतान किया जाएगा।
3. संबंधित संस्थानों / प्रतिष्ठानों / फिल्म निर्माताओं को, जिनका विगत 03 वर्षों का कम से कम समेकित रूप से टर्नओवर 1.5 करोड़ रूप्ये हो, को इससे संबंधित तीन

साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी तकनीकी निविदा (अनुलग्नक दो से चार) के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तकनीकी निविदा के साथ फर्म का निबंधन, अद्यतन आयकर एवं सेवा कर का प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्यानुभव का प्रमाण संलग्न करना होगा।

4. संस्था को लोकप्रिय हस्ती/संस्थान/सरकारी विभाग/ मंत्रालय/ उपक्रम/ बड़े कारपोरेट के सोशल मीडिया/पी. आर. को हैंडल करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. संस्था को रिमोट वेबिनार करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए ।
6. सभी निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में अंके 1,00,000/- रु. (एक लाख रुपया) का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार विधान सभा के नाम से देय तथा एस.बी.आई., बिहार विधानमंडल शाखा में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा, जिसे निविदा निष्पादित होने के बाद निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदादाता को उतनी ही राशि का जमानत राशि (बैंक गारन्टी) जमा करने के उपरान्त बैंक ड्राफ्ट वापस किया जायेगा।
7. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में रख कर प्रत्येक लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरों में 'तकनीकी निविदा' (अनुलग्नक-दो से चार) एवं 'वित्तीय निविदा' (अनुलग्नक-एक) अंकित कर इसे दूसरे बड़े लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा। सभी लिफाफों में निविदादाता फर्म का नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल एवं फैक्स संख्या अंकित होना चाहिए।
8. तकनीकी निविदा (अनुलग्नक-दो से चार) एवं 'वित्तीय निविदा' (अनुलग्नक-एक) अंकित एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
9. केवल तकनीकी रूप से योग्य घोषित किए गए बोलीकर्ताओं का ही वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा का मूल्यांकन दो/तीन सदस्यीय तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति करेगी। सभी बोलीकर्ताओं को 5-10 मिनट का तकनीकी मापदण्डों की क्षमता पर पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष देना होगा।
10. तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के पास अधिकार होगा कि वे मौखिक प्रश्नों एवं फर्म में उपलब्ध सेट-अप के आधार पर निविदादाता की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन कर सके ।

11. निविदादाता फर्म को भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा विगत तीन वर्षों में ब्लैकलिस्टेड नहीं हाने का स्वअभिप्रपाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. निविदादाता फर्म को इस बात का स्वअभिप्रमाणित्त प्रमाण देना होगा कि इनके टीम के किसी सदस्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है।

13. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा निविदा के साथ जमा की गयी अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. चयनित निविदादाता फर्म को इस कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. वित्तीय निविदा में अंकित दर का उल्लेख अनुलग्नक एक के अनुरूप होना चाहिए। न्यूनतम वित्तीय बोलीकर्त्ता का चयन सफल बोलीकर्त्ता के रूप में किया जायेगा।

16. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी तथा उन्हें ही वित्तीय निविदा खोलने की निथि, समय एवं स्थान की सूचना दी जायेगी।

17. सफल निविदादाताओं से बेहतर कार्य, उच्च गुणवत्ता एवं दर में कमी तथा शूटेड कैसेट, मास्टर कैसेट, डी.वी.डी., क्लाउड (cloud) एवं पेन ड्राईव आदि की शीघ्र आपूर्ति हेतु निगोशियेसन किया जा सकता है।

18. चयन किये गये संस्थान / प्रतिष्ठान / फिल्म निर्माता का कार्य संतोषप्रद रहने पर आगे कार्य विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

19. निविदादाता के पास स्टोरेज क्षमता (मशीन एवं क्लाउड) कम से कम 50 टी०बी० तक होना चाहिए।

20. सोशल मीडिया अथवा अन्य अनुषांगी कार्यों हेतु उपयुक्त साफ्टवेयर का लेटेस्ट लाईसेंस वर्जन होना चाहिए।

21. चयनित एजेंसी वेबीनार की मेजबानी के लिए आवश्यकता पड़ने पर वेब-इन्टरफेस ऐप्लीकेशन विकसित करेगी। एजेंसी लैंडिंग-पेज, बैनर, बैकड्रॉप-स्क्रीन बनाएगी जिसे प्रसंग अथवा जरूरत के मुताबिक परिवर्तित किया जा सके।

22. आवश्यकतानुसार सभा वेश्म के बाहर यूट्यूब, फेसबुक लाईव, वेबकास्टिंग हेतु लिंक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ निर्बाध प्रसारण में सहयोग करना होगा।

23. SMS/ Whatsapp/ E-mail/ कॉलिंग सोशल मीडिया पर प्रचार के माध्यम से URL/ लाईव स्ट्रीम लिंक प्रदान की जानी होगी, जिसमें वीडियो-लाईव ऑन डिमांड के लिए भी एक लिंक दी जानी चाहिए।

24. सफल बोलीकर्ता को बिहार विधान सभा की गतिविधियों को जनमानस तक पहुंचाने हेतु बिहार विधान सभा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, Whatsapp पर प्रतिदिन कंटेट लिखना, ग्राफिक्स / मोशन ग्राफिक्स बनाना एवं पोस्ट करना होगा।

25. सफल बोलीकर्ता को बिहार विधान सभा यूट्यूब चैनल, बिहार विधान सभा टी०वी, वीडियो कट एवं एडिट करना, लोगो लगाना एवं पोस्ट करना होगा।

26. सफल बोली कर्ता को बिहार विधान सभा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म की रीच (पहुंच) को बढ़ाने में सहयोग करना होगा। केवल सोशल मीडिया द्वारा चार्ज की गई राशि (टेक्स सहित) का भुगतान किया जाएगा।

27. सफल बोलीकर्ता के पास बिहार विधान सभा के सभी सोशल मीडिया चैनल्स को किसी हैक अथवा साइबर अटैक से बचाने हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। यदि बिहार विधान सभा का सोशल मीडिया अकाउन्ट हैक होता है तो उसे अनहैक करने की पूर्ण जिम्मेवारी चयनित फर्म की होगी।

28. सोशल मीडिया प्लेटफर्म हेतु कंटेट ढूँढ़ना, तैयार करना, ग्राफिक्स बनाना, वीडियो एडिट एवं पोस्ट करने के साथ यूजर रिस्पान्स की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी चयनित निविदादाता की होगी। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेवारी चयनित निविदादाता की होगी और यदि वह त्रुटि नजरअंदाज करने योग्य नहीं हो तो बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षण चयनित निविदादाता का एकरारनामा रद्द करते हुए अन्य संस्था फर्म से सभा सचिवालय कार्य संपन करा सकता है।

29. सभा सचिवालय के निदेश पर रिकॉर्डिंग किये गये मास्टर कैसेट या उससे तैयार छायांकन के किसी फार्मेट को सभा सचिवालय के सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना चयनित निविदादाता बाहर नहीं ले जा सकेगा तथा उसे इसकी गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उसकी किसी भी रूप में प्रतिलिपि किसी अन्य व्यक्ति / संस्था या इलेक्ट्रॉनिक चैनल या अन्य मीडिया को हस्तांतरित नहीं करने की जिम्मेवारी भी चयनित निविदादाता की होगी। इन शर्तों के उल्लंघन होने पर चयनित निविदादाता के एकरारनामा को रद्द करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सभा सचिवालय को होगा।

30. फर्म को सत्र के लाइव प्रसारण के दौरान किसी भाग (क्लिप) को अलग से रिकॉर्ड कर प्रसारित करना होगा। इस भाग (क्लिप) को जनमानस के बीच विधान सभा के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करना होगा।

31. सभा सचिवालय चयनित फर्म को स्थान उपलब्ध करायेगी। तकनीकी उपकरण सचिवालय लाने एवं ले जाने की व्यवस्था चयनित फर्म को स्वयं करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

32. बोलीकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले मानवबल को कार्य संपन्न होने तक बार-बार नहीं बदला जाएगा। मानवबल को बिहार सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम देय से भुगतान करना होगा। विसंगति होने पर करारनामा रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

33. कार्य संपन्न हाने में देरी होने पर सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगा सकेगा।

34. सफल संचालन के लिए संस्थान को सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं के लिए FAQ और संपर्क विवरण, ई-मेल, Whatsapp नंबर/ कॉलिंग या संभावित समस्याओं को हल करने के लिए कोई अन्य चैनल / प्रणाली प्रदान करना होगा।

35. चयनित निविदादाता को वर्क ऑर्डर में आवंटित कार्यावधि के लिए जमानत की राशि के रूप में सभा सचिवालय के रोकड़ शाखा से सम्पर्क कर वांछित राशि जमा करना होगा तथा बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप अंके 1000/रु० (एक हजार रुपये) के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र (नॉन ज्यूडिशियल सटांप पेपर) पर सभा सचिवालय के साथ एकरारनामा करना होगा।

36. निविदादाता का पटना में कार्यालय हो या उनके प्रतिनिधि उपलब्ध रहें ताकि किसी प्रकार के उपकरण की आकस्मिक कमी या कोई व्यवधान के दृष्टिगोचर होते ही उसका ससमय निदान कर सके। न्यूनतम एतद् संबंधी दस्तावेज / रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

37. कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी के लिए स्थल का निरीक्षण अथवा निविदा के अन्य शर्तों के संबंध में सभा सचिवालय के जनसंपर्क शाखा से किसी कार्यावधि में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

38. निविदादाता को निविदा की सभी शर्तों से पूर्णरूपेण सहमति से संबंधित प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर, फर्म के मुहर, स्थान एवं दिनांक सहित तकनीकी निविदा के साथ संनग्न करना आवश्यक है।

39. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बिना कारण बताये किसी निविदा को रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।

40. यदि कोई माँग किया गया दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं है, तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

41. चयनित निविदादाता को 02 सोशल मीडिया हैंडलर जिसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ लाईव करने का अनुभव हो, उपलब्ध कराना होगा, जो अलग-अलग शिफ्ट में सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ उपलब्ध रहेंगे एवं उनके स्कॉट के साथ परिभ्रमण करेंगे। किए गए पोस्ट पर यूजर रिस्पान्स को मॉनिटर करना भी इनकी जिम्मेवारी होगी।

42. चयनित निविदादाता को 24X7 का 01 कंटेंट राइडर उपलब्ध कराना होगा जिसे प्रतिदिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम/समसामयिकी/ सरकारी कार्यक्रम एवं अन्य के अनुरूप उपयुक्त कंटेंट के टॉपिक्स ढूँढ़कर उसपर ट्वीट/पोस्ट लिखना होगा, जिसपर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत ग्राफिक्स डिजाईन कराया जाएगा।

43. चयनित निविदादाता को 24X7, 01 वीडियो एडिटर उपलब्ध कराना होगा, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यक्रमानुसार उपयुक्त पोस्ट योग्य वीडियो बनाने में सक्षम हों।

44. चयनित निविदादाता को 24X7, 01 ग्राफिक्स डिजाईनर उपलब्ध कराना होगा, जिसे उत्कृष्ट ग्राफिक्स निर्माण एवं पोस्टर डिजाइन का अनुभव हो।

45. चयनित निविदादाता को व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बनाना (यथा माननीय सदस्य/ माननीय पूर्व सदस्य/प्रेस प्रतिनिधि/अन्य) एवं उनके सब ग्रुप को मैनेज एवं एडमिनिस्टर करना होगा।

46. चयनित निविदादाता को व्हाट्सएप/ कॉलिंग के माध्यम से सूचना प्रसारित करना होगा। इसके अंतर्गत माननीय सदस्यों/ माननीय पूर्व सदस्यों / प्रेस प्रतिनिधियों / अन्य महानुभावों/ जनता के मध्य सूचना / शुभकामना संदेश को भेजना होगा।

47. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें खारिज कर दिया जाएगा।

48. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदादाता को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है।

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा पटना।

अनुलग्नक I

FINANCIAL BID

सत्र संबंधी

Sl N	Particular (Rate/ month)	Total Amount INR
1.	For two (02) Social media Handlers	
2.	Graphics Designer	
3.	Content Writer	
4.	Video Editor	
	Total	

अनुलग्नक–II

TECHNICAL REQUIREMENTS

Sl. No.	Requirements	
1.	Recording (Camera with HD/4K or Pixel capacity)	
2.	Licenced Version of appropriate software's name for mixing and editing	
3.	Capacity to cover programs outside Vidhan Sabha including District Level Programs	
4.	Ability to make Graphics & reels	
5.	Ability to make Short Films (Name the Films)	
6.	Adequate Capacity and Skills of Camera Person	
7.	Ability to create Bihar vidhansabha chairperson's Live whenever required.	
8.	Ability to create cartoon animation and AI trending ad films.	
9.	Ability to create archive video for Bihar Vidhan Sabha history.	

अनुलग्नक–III

GENERAI REQUIREMENTS

Sl. No.	Requirements	
1.	Registered under the Companies Act 1956 or Registered Society under the Societies registration act or Proprietorship firm or partnership firm or LLP in India or authorised under govt/dept of Bihar.	
2.	Bank Account in the name of the company.	
3.	GST No.	
4.	PAN No.	
5.	Annual turnover of 50 lakhs (For 3 years) / Cumulative turnover of 1.5 crores of last 3 years	
6.	Five Years experience of working under parliament/ LA/ PSU/ Autonomous body/ Large corporate/ others.	
7.	Not blacklisted and affidavit regarding this.	
8.	Address proof / Rent agreement of office in Patna (Last 3 years)	

* Supportive documents must be attached with all the required fields in Annexure III.

अनुलग्नक-IV

बोलीदाता द्वारा वचन

वचन मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निविदा के निर्देशों, पूर्व-योग्यता विशिष्टता के साथ आपूर्ति का दायरा, मूल्यांकन मानदंड और मूल्य समझौते के नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन शर्तों का पालन करूंगा।

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मुहर सहित)